झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं० – 04/आ० – 01 – 1005/2021– 2666 राँची, दिनांक : 29/6/22

अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त निदेश के आलोक में जामताड़ा शहरी जलापूर्ति योजना में Security Deposit एवं Retention Money में गड़बड़ी की जाँच क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, दुमका प्रक्षेत्र, दुमका से करवाई गई। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, दुमका के ज्ञापांक–658 दिनांक–08.09.2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री उपेन्द्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर को उक्त योजना में तृतीय चालू विपत्र से कम Security Deposit काटे जाने का दोषी पाया गया।

2. उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक–5932 दिनांक–19.12.2017 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण पूछा गया। जिसके जवाब में श्री मंडल द्वारा अपने पत्रांक–1972 दिनांक–30.12.2017 के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। उक्त प्राप्त स्पष्टीकरण सहित पूरे मामले की सम्यक समीक्षा राज्य सरकार द्वारा की गई, जिसमें श्री मंडल के स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य नहीं पाये गये एवं यह पाया गया कि श्री मंडल के द्वारा प्रस्तुत मामले में नियमों एवं प्रावधानों की अनदेखी कर संवेदक को अनुचित लाभ पहुँचाने का आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है।

3. उक्त प्रथम दृष्टया प्रामाणित पाये गये आरोप के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए राज्य सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में अधिसूचना सं० 2058 दिनांक 19.08.2021 द्वारा श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकर, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 17 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. तत्पश्चात विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 10(अनु०)दिनांक 07.01.2022 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। जिसमें जाँच संचालन पदाधिकारी ने श्री मंडल के विरूद्ध गठित आरोप सं० 1 एवं आरोप सं० 2 को आंशिक प्रमाणित प्रतिवेदित किया है। उक्त आंशिक प्रमाणित पाये गए आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक–356 दिनांक– 21.01.2022 द्वारा श्री मंडल से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

5. उक्त किए गए द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में श्री मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर ने पत्रांक–147 दिनांक– 03.02.2022 द्वारा अपना जवाब विभाग को उपलब्ध कराया। तदोपरांत जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं श्री मंडल द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा सहित सम्पूर्ण तथ्यों की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई। जिसके उपरांत श्री मंडल का जवाब असंतोषप्रद पाते हुए उनके विरूद्ध कार्यों के निष्पादन में बरती गई अनियमितता एवं प्रक्रियागत भूल का आरोप प्रमाणित पाते हुए उनके विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक रूप से अवरूद्ध करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

6. अतएव उक्त लिये गए निर्णय के आलोक में श्री उपेन्द्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 14 के तहत् **"एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध"** करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : **04/आ० – 01 – 1005/2021–** 2667 राँची/दिनांक : 29/6/22
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : **04/आ० – 01 – 1005/2021–** 2667 राँची/दिनांक : 29/6/22
प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), झारखण्ड, राँची/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : **04/आ० – 01 – 1005/2021–** 2667 राँची/दिनांक : 29/6/22
प्रतिलिपि : माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित)/अवर सचिव (प्र० 04, प्र० 01 एवं प्र० 10), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : **04/आ० – 01 – 1005/2021–** 2667 राँची/दिनांक : 29/6/22
प्रतिलिपि : श्री उपेंद्र कुमार मंडल, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : **04/आ० – 01 – 1005/2021–** 2667 राँची/दिनांक : 29/6/22
प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/नोडल पदाधिकारी, HRMS/श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, आई० टी०, पी० एम० यू०/श्री फैज़ अहमद, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाईट, ई–गजट एवं HRMS पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव